कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2023–24/31/a   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।

B. छात्रवृत्ति की दरें :–

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D.छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / b　　　　　　　　दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।

B. छात्रवृति की दरें

विवरण	दरें(अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्रवृति / माह	100 रुपये

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2023–24/31/C दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A.पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। केन्द्रांश राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।

B. छात्रवृति की दरें –

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृति (वार्षिक)	3500	7000

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / d   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं आधार बेस्ड पेमेन्ट लागू होने पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।

B. छात्रवृत्ति की दरें –

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति / माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रूपये

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
प्रभारी अधिकारी
एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / e   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 09 / 10 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत, से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं आधार बेस्ड पेमेन्ट लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।

B. छात्रवृति की दरें

विवरण	दर (वार्षिक)
छात्रवृति राशि	4000 / –

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2023–24/31/f   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A.पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग का हो। (एम.बी.सी में 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4 राईका, रैबारी (देबासी) तथा 5.गडरिया (गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 06 से 10 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।

B. छात्रवृति की दरें –

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

(सुनीता चावला)
एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2023–24/31/g   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (Unclean) छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का हो। इस हेतु स्थानीय निकाय/सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 01 से 10 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं केन्द्रांश राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।

B. छात्रवृति की दरें –

Dayscholars		Hostellers	
कक्षा	वार्षिक अनुदान	कक्षा	वार्षिक अनुदान
1 से 10	3500	3 से 10	8000

C. आवश्यक दस्तावेज– अभिभावक के सफाईकर्मी या जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / h दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. विद्यार्थी प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 01 से 12 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।

B._ छात्रवृति की दरें –

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 12	180 / – प्र.माह

C. आवश्यक दस्तावेज– अभिभावक के शहीद या स्थाई विकलांग सैनिक होने का प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 13:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / i   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति

A. पात्रता एवं शर्तें :–

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो व गत कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किये हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।

B. छात्रवृति की दरें –

क्र.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	कक्षा 11 एवं 12	100 /– प्र.माह

C. आवश्यक दस्तावेज– अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अंतिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.08.2024**

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / j दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तेः–

1. विद्यार्थी अनुसुचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो।
3. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे।
4. विद्यार्थी के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं केन्द्रांश राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाउण्ट में किया जायेगा।
8. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

B. छात्रवृत्ति की दरें–

कक्षा	छात्रवृत्ति रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	400.00 प्रतिमाह	250.00 प्रतिमाह
कुल राशि	4000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2500 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	31.08.2024

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / k दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तेः–

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी को अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
3. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे।
4. विद्यार्थी के माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000 रुपये तक हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
8. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

B. छात्रवृत्ति की दरें –

कक्षा	छात्रवृति रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	31.08.2024

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / 1 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25

केन्द्र प्रवर्तित OBC/DNT/EBCवर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

A. पात्रता एवं शर्तें:–

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी को OBC/DNT/EBCवर्ग का होना चाहिए अर्थात–(OBC/DNT/EBC)वर्गमें निम्नलिखित 17 श्रैणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है। जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक महिला की पुत्री / पुत्र, अनाथ बालिका / बालक, विद्यवा स्वंय, विद्यवा की पुत्री / पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वंय, तलाकशुदा महिला की पुत्री / पुत्र, विशेष योग्यजन स्वंय, विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।)
3. विद्यार्थी जिनके माता पिता / संरक्षक की वार्षिक आय उक्त वर्गों के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
4. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाता में किया जायेगा।
8. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

B. **छात्रवृत्ति की दरें** –

कक्षा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11–12	Academic Allowance	Tuition Fee	Total
कुल राशि	5000	0	5000

C. आवश्यक दस्तावेज– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D. छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	31.08.2024

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर</u>

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 31 / m   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

<u>दिशा–निर्देश वर्ष 2024–25</u>

<u>कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (MBC)के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>

A. <u>पात्रता एवं शर्तेः–</u>

1. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जायेगी।
2. विद्यार्थी को अति पिछड़ा वर्ग (MBC)का होना चाहिए।
3. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो।
4. विद्यार्थी जिनके माता पिता / संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
7. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
8. उक्त योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
9. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

B. <u>छात्रवृत्ति की दरें</u>–

कक्षा	छात्रवृत्ति रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

C .<u>आवश्यक दस्तावेज</u>– जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार।

D.<u>छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि</u> :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	31.08.2024

(सुनीता चावला)
उपनिदेशक एवं प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
9096706

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Chawla
Designation : Deputy Director
Date: 2024.07.19 18:02:28 IST
Reason: Approved